डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108/भोपाल/03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510]　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2005—आश्विन 21, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्र. एफ. 11-39-2005-एक-9.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (24) की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों की परिधि से अलग करता है:—

(1) मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
(2) अपराध अनुसंधान विभाग (सी.आई.डी.)
(3) विशेष शाखा (पुलिस मुख्यालय) तथा गृह विभाग की शाखा "सी" से संबंधित जानकारी.
(4) विशेष सशस्त्र बल (एस. ए. एफ.)
(5) लोकायुक्त को लोक सेवकों की अनुपातहीन संपत्ति विषयक जांच/संबंधित जानकारी व संबंधित मामलों के अन्वेषण संबंधी सूचना जिसमें न्यायालय में अभियोजन पक्ष विपरीत रूप से प्रभावित हो.

No. F.-11-39-2005-I-9.—In exercise of the powers conferred by sub section (4) of the Section 24 of the Right to Information Act, 2005, the State Government hereby excludes application of the provisions of the said act on the following intelligence and security agencies:—

(1) M. P. Economic Offence Wing (E.O.W.)
(2) Criminal Investigation Department (C.I.D.)
(3) Special Branch (Police Head Quarter) and matters dealt with C-Section Home Department.
(4) Special Armed Force (S.A.F.)
(5) Investigation/inquiry by the Lokayukta, related to cases of public servants regarding income disproportionate to their known sources of income and matters/relating to their investigation etc. which are likely to jeopardise the interest of prosecution.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.